हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयासों की समीक्षा

राजबीर सिंह दलाल

Ikjk'k: *लैंगिक समानता किसी भी सफल लोकतंत्र की कुंजी होती है। इसीलिए भारत की तमाम सरकारों ने आजादी के बाद से ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया। इन योजनाओं और कार्यक्रमों को आधार 73 वें संविधान संशोधन ने दिया। इस संशोधन ने ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकरण को मान्यता दी और महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाल कर सार्वजनिक क्षेत्र में ला खड़ा किया। हरियाणा प्रदेश के लिए यह संशोधन और अधिक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यह प्रदेश ग्रामीण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 ने महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से 16 विभागों के कुछ विशिष्ट कार्यों को भी पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ा। प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कई तरह के बदलाव किए, जैसे पंचायती राज चुनाव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और वर्ष 2020 में महिला आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया और भी अन्य कई प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के कारण वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 42 प्रतिशत महिलाएं हैं। इन संस्थाओं ने न केवल महिलाओं को राजनैतिक रूप से सशक्त किया है बल्कि सामाजिक ताकत भी दी है। प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन देखा जा रहा है, वर्ष 2021 में ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात 933 और महिला साक्षरता दर 66. 4 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रस्तुत शोध पत्र हरियाणा प्रदेश में इन संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का अध्ययन करता है और इसके सामने आ रही चुनौतियों को उजागर कर इस को प्रभावी बनाने के सुझाव देता है।*

प्रस्तावना

किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्रगति वहां की मानव शक्ति पर निर्भर करती है। जब तक किसी भी राष्ट्र या देश की आधी जनसंख्या अर्थात महिलाएं रसोई तक सीमित रहेगी तो उस देश का लोकतांत्रिक विकास कैसे संभव हो सकता है ? महिलाएं किसी भी समाज या देश की केवल आधी जनसंख्या शक्ति नहीं बल्कि शेष आधी जनसंख्या शक्ति के जीवन विकास का आधार स्तंभ है। महिलाएं घर परिवार और समाज को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके विकास के महत्व को समझते हुए संविधान निर्माताओं ने महिला सशक्तिकरण हेतु संविधान में अनेक प्रावधान किए जैसे संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आदि। लेकिन ये सब प्रावधान सैद्धांतिक थे। इन्हें व्यवहारिक रूप से तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब स्थानीय स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा की जा सके और शासन प्रक्रिया में उनकी भागीदरी निर्धारित की जा सके। इसका सबसे बड़ा साधन पंचायती राज संस्थाएं बनी।[1]

जब समुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका मूल मंत्र 'अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण' था जो कि विफल हो गया था, उसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण स्थानीय स्तर पर आम जनता की भागीदारी का ना होना रहा था। इसलिए स्थानीय स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ किया गया। कई वर्षो तक तमाम प्रयासों के बाद भी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। वर्ष 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में 73 वा संविधान संशोधन पारित किया गया। इस अधिनियम से एक तरफ स्थानीय शासन पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मानता प्रदान हुई, वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कम-से-कम एक तिहाई (33 प्रतिशत) स्थान आरक्षित किए गए। यह बदलाव महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।[2]

अवधारणा

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा समाज और राष्ट्र में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करती है। यह समाज में पारंपरिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। वीना अग्रवाल के अनुसार, ''महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, समाज में समानता प्रदान करना और मौजूदा शक्ति सम्बंधों और आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक को बदलकर अपने पक्ष में करना"। किल्लर एंड मबेवे के अनुसार,

''सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा महिला आत्मनिर्भरता बनाने के लिए खुद को संगठित करने में, संसाधनों के चुनाव और उनको नियन्त्रित करने के अपने स्वतंत्र अधिकारों का प्रयोग करने में सक्ष्म हो जाती है जो उनकी अधीनता को चुनौती देने और समाप्त करने में सहायक बनाती है। इस प्रकार हम सशक्तिकरण को बहुयामी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं, जो महिलाओं को अपने स्वयं के जीवन को नियन्त्रित और निर्देशित करने की क्षमता देती है।[3]

शोध पत्र के उद्देश्य

हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन करना। इन प्रयासों का महिला सशक्तिकरण पर पड़े प्रभाव को आकलन करना और महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आ रही चुनौतियों को उजागर कर, इस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना।

विश्लेषण

लैंगिक समानता सफल लोकतंत्र की कुंजी है। इसीलिए भारत सरकार व राज्य सरकारों ने लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त करने के लिए आजादी के बाद से ही कई कार्यक्रम और नीतियां लागू कीं। लेकिन इन नीतियों और कार्यक्रमों को अधिक सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर लोगों में खासतौर पर महिलाओं में इन योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति न तो जागरूकता थी और न ही उनकी कोई भागीदारी थी, दूसरा इन्हें लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर स्थानीय सत्ता का अभाव था। "महात्मा गांधी" ने कहा था कि जब तक महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेती, तब तक विकेंद्रीकरण का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता।[4] इस कथन को 73वें संविधान संशोधन ने व्यावहारिकता प्रदान की। इसने मुख्तयः दो कार्य किए, *पहला* स्थानीय स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण को मान्यता, *दूसरा* इस सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया ।

हरियाणा प्रदेश के लिए यह संशोधन अधिक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यह ग्रामीण और कृषि प्रधान प्रदेश है। खासतौर से महिलाओं की दशा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन समय से चिंताजनक रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक सोच देखने को मिलती रही है। इसीलिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित प्रयास किए गए।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में दम तोड़ चुकी पंचायतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। यह महसूस किया जा रहा था कि जब तक स्थानीय स्तर की संस्थाओं को मजबूत कर उन्हें उचित शक्तियां नहीं दी जाती और उनमें हाशिए पर पड़े वर्गों खासतौर पर महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तब तक ग्रामीण

विकास संभव नहीं है। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदें।[5]

महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास का संचार करने और घर की चारदीवारी से बाहर निकालने के लिए इन संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर इनकी कम से कम 33 प्रतिशत भागीदारी निश्चित की। इस अधिनियम के तहत पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें 29 मदों के 16 महत्वपूर्ण विभागों के कुछ विशिष्ट कार्यो से सम्बंधित शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपें ताकि पंचायतें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने में सक्षम हो। उनमें से कुछ विभाग जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आंगनबाडी केन्द्रों, आईसीडीएस योजना जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है, एमवाईपी कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रमों जिनको महिला एवं बाल विभाग के द्वारा महिलाओं के विकास के लिए समय-समय पर बनाए जाते हैं, उनके क्रियान्वयन और निरीक्षण का जिम्मा पंचायतों को दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था के निरीक्षण की जिम्मेदारी भी पंचायतों को दी गई ताकि पंचायतें महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।[6]

पंचायती राज चुनाव में दो -बच्चों का मापदंड समाप्तः हरियाणा सरकार ने 1995 में पंचयती राज चुनाव में दो-बच्चों के मानदंड लागू किया था, जिसके अनुसार पंचायती राज चुनाव दो से अधिक बच्चो वाला व्यक्ति नहीं लड़ सकता था। सरकार लगातार यह महसूस कर रही थी, इस शर्त के कारण सामाजिक बुराइयां बढ़ रही है। खास तौर पर जबरन गर्भपात, बच्चे गोद देना आदि, जिसका महिला सशक्तिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2005 को इसे हटा दिया।[7]

शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार (2010): यह पुरस्कार उस महिला प्रतिनिधि को दिया जाता है, जिसने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और महिला साक्षरता, स्वास्थ्य पोषाहार, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हो। इसके तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि एक लाख रुपए है।[8]

पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक-2015 द्वारा पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए दसवीं, महिलाएं व अनुसूचित जाति के पुरूषों के लिए आठवीं, पंच पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए पांचवी पास होना अनिवार्य कर दिया गया। यह कदम महिला

सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब यह निश्चित हो गया है कि महिला प्रतिनिधि अब अनपढ़ नहीं रहेगी। अब वह स्वयं पंचायतों से संबंधित कागजातों एवं कार्यों को समझ सकेगी और बिना किसी दबाव और बिना किसी सहारे के अपने निर्णय ले सकेगी।[9]

साक्षर महिला समूह (एसएमएस): साक्षर और शिक्षित महिलाओं का एक समूह है जो महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए एक गाँव के भीतर गठित होता है। यह समूह गांव में महिलाओं में दबी हुई प्रतिभा को उजागर कर समाज में जागृति लाने का कार्य करता है। सबसे अधिक पढ़ी-लिखी महिला इस समूह की प्रधान होती है। इसका मुख्य कार्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायत के साथ कार्य करना है। एसएमएस का गठन और उसका पंजीकरण आईसीडीएस के सभी कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा किया तय किए जाते है।[10]

7 -स्टार ग्राम योजना: इस योजना के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य गांव के लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपने ग्रामीण स्तर को सुधार सकें। जो पंचायते विभाग द्वारा निर्धारित सात मानकों में जिसमें लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वच्छता, शांति और सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और सामाजिक भागीदारी में अधिकतम अंक प्राप्त करती है, उसे इंद्रधनुष ग्राम पंचायत का नाम दिया जाता है। प्रत्येक मानक के लिए एक विशेष रंग दिया जायेगा, जैसे गुलाबी रंग उस पंचयात को दिया जायेगा, जो गांव स्तर पर लिंग अनुपात में सुधार करने में सर्वोत्तम प्रदर्शन करेगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योजना से प्रोत्साहित हो कर पंचायतें महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कार्य करेगी।[11]

हरियाणा में पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण: प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक असाधारण क़दम उठाते हुए पंचायतों में इनकी आरक्षित संख्या 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है। आगामी चुनाव में पंचायतों में इनका बहुमत होना निश्चित माना जा रहा है। इस बार महिला प्रतिनिधियों की आवाज पुरूषों की आवाज के समान अपने गांव के विकास के लिए गूंजेगी और विकास के नए आयाम स्थापित करने के अवसर भी मिलेंगे।[12]

प्रभाव

प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने का सबसे बड़ा स्रोत पंचायती राज व्यवस्था बन रही है। इन संस्थाओं ने सत्ता को गांव तक पहुंचाया और इस में महिलाओं की भागीदारी निश्चित कर उनमे न केवल आत्मविश्वास का संचार किया बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर, जागरूक और निर्भय बनने का अवसर दिया। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से न केवल पंचायतें सशक्त होने लगी

बल्कि सरकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर धरातल पर उतारा जाने लगा। खासतौर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायतों में बढ़ने से महिलाओं से संबंधित योजनाओं के प्रति इन में जागरूकता को विकसित कर उनका प्रयोग महिलाओं के विकास के लिए करना आरंभ कर दिया। इन संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की अच्छी खासी संख्या वर्तमान समय में स्थानीय सत्ता में भागीदार बनी हुई है। जहां हरियाणा में 1994 से पहले महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भूमिका न के बराबर थी जबकि मौजूदा समय में इनकी एक औसतन संख्या सार्वजनिक जीवन के कार्यों में भागीदारी को साझा करती है। वर्ष 2016 में प्रदेश में हुए पंचायती राज चुनाव में महिलाओं की भागीदारी इस प्रकार हैः

	कुल प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि प्रतिशत
पंच	60436	25495	42.18
सरपंच	6186	2565	41.46
पंचायत समिति	2997	1258	41.97
जिला परिषद	416	181	43.50

स्रोतः http://prielections.nic.in/

तालिका के अनुसार इन संस्थाओं में लगभग 42 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनकी 33 प्रतिशत भागीदारी ही निश्चित थी लेकिन इस बार नौ प्रतिशत महिलाएं बिना आरक्षण के अपने पुरूष प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ चुनाव जीतने में सफल रहीं जो हरियाणा जैसे पुरूष प्रधान प्रदेश में महिलाओं के लिए एक बडी उपलब्धि है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सर्वोच्च निकाय जिला परिषद के अध्यक्ष पदों की वर्तमान संख्या 21 है और इनमें से 13 पदों पर महिलाएं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है यानि लगभग 62 प्रतिशत है। 13 ये आँकड़े महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को दर्शाते हैं जिसका आधार ये संस्थाएं बन रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में इनकी भागीदारी ने उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाया है जिससे उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि देखी जा रही है। खासतौर से महिला प्रतिनिधियों के आत्मसम्मान, घर के भीतर और ग्राम समुदाय के बीच सम्मान में वृद्धि हुई है जिसके कारण निर्वाचित महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है।[14]

इन संस्थाओं ने न केवल इनको राजनैतिक रूप से सशक्त किया है बल्कि सामाजिक ताकत भी दी है। यदि हम विगत् दशकों में महिलाओं के सामाजिक आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किए गए प्रयासों के कारण इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के लागू होने से पहले 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात 864 और

महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 33 प्रतिशत थी। इस अधिनियम के लगभग 26 वर्ष बाद वर्ष 2021 में ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात 933 और महिला साक्षरता दर 66.4 प्रतिशत दर्ज की गई।[15] जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 51 प्रतिशत थी। इनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। यह तथ्य दर्शाते हैं कि इन संस्थाओं के माध्यम से किए गए तमाम प्रयासों के ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है।

महिला बाल विकास विभाग द्वारा हरियाणा में चलाई जा रही योजनाएं *बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ,* प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, वनस्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र, कामकाजी महिला छात्रावास, किशोरी शक्ति योजना, यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की पीड़ित महिला/उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना-2018, कन्या कोष, तेजाब पीड़ित महिला राहत एवं पुनर्वास योजना, शिशु और छोटे बच्चे के आहार में सुधार आदि इन सभी योजनाओं की सफलता पंचायती राज संस्थाओं पर निर्भर करती है। पंचायतों के जरिए ये योजनाएं, सीधे तौर पर गांव और महिलाओं तक जुड़ पा रही है। दूसरी तरफ महिला प्रतिनिधि द्वारा पंचायतों के माध्यम से महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने के अवसर मिल रहे हैं।[16]

पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शिक्षा योग्यता की शर्त लगाए जाने के कारण वर्ष 2016 में हुए चुनाव में उच्च शिक्षा प्राप्त और युवा महिलाएं निर्वाचित हुई। महिला प्रतिनिधियों की औसत आयु लगभग 35 वर्ष रही।[17] युवा जोश और शिक्षा ने इनकी नेतृत्व क्षमता को उजागर किया। इसलिए महिला प्रतिनिधि इस बार पंचायत में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, गुरुग्राम जिले के सिंगार पंचायत की 32 वर्षीय सरपंच आमना (कंप्यूटर में बीटेक क्वालीफाइड) ने अपने गांव को पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए अनेक कार्य किए। रोहतक जिले की गादला गांव की 26 वर्षीय सरपंच रजनी (एमएससी बीएड, नेट पास) ने लड़कियों को स्नातक तक की शिक्षा दिलवाने और महिलाओं की स्थिति सुधारने के पक्ष में अनेक कार्य किए। अंबाला जिले के सुभरी पंचायत की 22 वर्षीय सरपंच निधि (एमएससी और बीएड) ने *बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान* पर काम किया और अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में काम किया।[18] धौज गांव की महिला सरपंच ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की हैं। इनमें महिलाओं के कौशल विकास लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान पर काम किया, स्कूली लड़कियों को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित किया, पर्दा/घूंघट (घूंघट) प्रथा के खिलाफ अभियान आदि शामिल हैं। करनाल जिले की चन्दसमन्द ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने गंदे पानी को साफ करवाने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत तीन तालाबों को विकसित करवाया। अब बागवानी और सिंचाई के उद्देश्य से इनका उपयोग किया जा रहा है। धनी मियां खान ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया और सुनिश्चित किया कि

गांव का हर बच्चा स्कूल जाए। उनके मार्गदर्शन में उनके गांव ने अपनी बेहतर स्वच्छता और बेहतर लिंग अनुपात के लिए पुरस्कार जीते हैं।[19]

चुनौतियाँ

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था महिला सशक्तिकरण का दर्पण साबित हो रही हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। खास तौर से हरियाणा जैसे ग्रामीण प्रदेश में। लेकिन अभी भी प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है। इनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इस प्रकार हैं:

- समाज में पितृसत्ता और रूढ़वादिता आज भी विद्यमान हैं, जिसके कारण महिलाएं पंचायतों में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पा रही हैं, यदि कोई महिला आगे बढक़र कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता। महिलाएं पुरुषों की सहमति के बिना सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकतीं।
- ग्रामसभा पंचायती राज्य की विधायिका और लोकतंत्र की आधारशिला है। यहां पर ग्राम पंचायत के कार्यो, गांव की समस्याओं और समाधान, सामाजिक मुद्दों ग्रामीण विकास, महिलाओं व कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित चर्चा हो सकती है। लेकिन ज्यादातर गांव में इसकी बैठक खानापूर्ति के तौर पर होती है और उस बैठक में भी महिलाओं की भागीदारी न के बराबर होती है। इसकी बैठक को सुचारू रूप से करवाने और इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- प्रोक्सी प्रतिनिधित्व : पुरूष अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए महिलाओं की आरक्षित सीटों पर अपने परिवार की ऐसी महिलाओं को चुनाव में लड़वाते हैं जिस पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। अधिकतर महिला प्रतिनिधि अपने परिवार के रसूखदार पुरूष के कारण चुनाव जीतती है और जीतने के बाद वह एक रबड़ की मोहर बन जाती है फिर पंचायतों के सभी कार्य पुरूषों के द्वारा प्रोक्सी प्रतिनिधि बनकर किए जाते हैं।
- अपर्याप्त क्षमता: अधिकतर महिला प्रतिनिधि पहली बार पंचायतों के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती है। उनके पास पंचायतों के मामले को संभालने के लिए पर्याप्त ज्ञान, अनुभव और कौशल नहीं होता। इसके लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण संचालित किए जाते हैं, लेकिन समय पर सभी प्रतिनिधियों को यह प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि अपने कार्यकाल में किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं ले पाती। सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण किसी जगह पर संचालित होता है तो वहां

पर जाने के लिए उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें यात्रा करने और अकेले रहने की भी अनुमति नहीं दी जाती।

- कमजोर पंचायतें: पंचायतों के पास अधिकार और शक्तियों का अभाव है इसके बाद भी जो भी अधिकार और शक्तियाँ दी गए हैं उन पर भी राज्य सरकार की नौकरशाही का नियंत्रण रहता है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण है। दूसरा नौकरशाही का नियंत्रण महिला प्रतिनिधियों पर और अधिक देखा जा सकता है क्योकि अधिकतर संख्या पुरूष अधिकारियों की है। पितृसत्तात्मक मानसिकता से ग्रस्त पुरूष अधिकारियों के साथ महिला प्रतिनिधियों का स्वतंत्र रूप से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है जब भी इनसे बात करने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाएं महिला सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम चुकी हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लागू होने के बाद अभूतपूर्व संख्या में महिलाएं घर की रसोई से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रही हैं। प्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील दिखाई दे रही है। इसलिए लगातार इन संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे है। प्रदेश में महिला प्रतिनिधि ग्राम पंचायतों में दो तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, एक तो ग्रामीण विकास की योजनाओं को बनाकर और दूसरा महिला सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों को ग्रामीण परिवेश तक पहुंचाकर, जिससे गांव और खास तौर पर महिलाओ का विकास हो रहा है। जिसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है, लिंग अनुपात और महिला साक्षरता दर में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी पंचायतें महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को संपूर्ण रूप से हासिल नहीं कर पा रही है। ग्रामीण परिवेश में अभी भी इनकी साक्षरता दर संतोषजनक नहीं है और न ही अभी तक रढ़िवादिता और पुरूषवादी सोच में सकारात्मक बदलाव हुआ है जिसके कारण इनकी पंचायतों में भूमिका निर्णायक नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारी प्रयासों में कमी है या फिर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। इस को प्रभावी बनाने के कुछ सुझाव है, जो इस प्रकार हैं:

- शिक्षा मनुष्य को जागरूक और मजबूत बनाती है। इसलिए महिलाओं को ना सिर्फ साक्षर बनाना है बल्कि उनको उच्च शिक्षा मिल सके इसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होगे। प्रदेश में हमने देखा कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिला प्रतिनिधि पंचायतों में निर्णायक भूमिका अदा कर रही है।
- पंचायतों को अधिक सशक्त करना होगा। इन्हे और अधिक अधिकार और

शक्तियाँ देनी होगी इस पर से नौकरशाही के नियंत्रण को कम करना होगा। सशक्त पंचायतें महिलाओं को सशक्त कर पाएगी।

- जहां पर महिला प्रतिनिधि कार्य कर रही हो सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर महिला पंचायत अधिकारी हो ताकि महिलाएं खुलकर उनसे विचार-विमर्श कर सकें।
- सरकार की ओर से विशेष तौर से महिला प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और उनका पूरा ध्यान पंचायतों के कार्यों पर हो। ऐसा करने से महिलाओं में चुनाव लड़ने की एक प्रतियोगिता पनपने लगेगी।
- पहली बार निर्वाचित हुई महिला प्रतिनिधियों के लिए शुरुआती समय में ही उनके जिले में विशेष तौर पर अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- सरकार के ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के कार्यकर्मो/योजनाओं में और इनके निष्पादन में महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- सरकार को पंचायतों में प्रोक्सी प्रतिनिधित्व के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम सभा की बैठक धरातल पर और समय पर हो और उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कदम भी उठाने होंगे।

संदर्भ

1. आर्या, मीना. (2017). पंचायती राज संस्थाएँ एवं महिला सशक्तिकरणः उत्तराखण्ड़ के विशेष सन्दर्भ में. जर्नल ऑफ़ अचार्य नरेंद्र देव रिसर्च इंस्टीट्यूट।
2. अश्वनी. (2016). पचायती राज संस्थाओं मे अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व का अध्ययन. रिव्यू जर्नल ऑफ़ पॉलीटिकल फिलॉसफी।
3. दलाल, राजबीर सिंह. (2012). रोल ऑफ पी.आर.आई. 'एस इन वूमेन एंपावरमेंटः ए स्टडी ऑफ सिरसा डिस्ट्रीक्ट. एशियन एकेडमिक रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, 1(4)।
4. नायक, एन.बी. (2016). एंपावरमेंट ऑफ वूमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायती राज. जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस. 5-18।
5. चाहर, एस.एस. (2000) पंचयती राज इन हरियाणारू एन ओवरव्यू "(गवर्नेंस एट ग्रासरूट्स लेवल इन इंडिया, मक.) नई दिल्लीरू कनिष्का पब्लिशर।
6. हरियाणा सरकार. (2004, 14अक्टूबर). पंचायत निदेशालय रिपोर्ट. Notification No. S.O. 202/H.A. 11/1994/S/209/2004।
7. https://www.epw.in/journal/2006/01/special-articles/two-child-norm-htmlTribune India ।

8. (2010, October 18). हरियाणा में महिलाओं के लिये तीन नये अवार्ड. January, from The Tribune Trust website: https://www.dainiktribuneonline.com /news / archive/gurugram/%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE %E0%A4%A3%E0%A4%BE&%E0%A4%AE%E0%A5%87 %E0%A4%82%E0%A4 %AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82&%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF% E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%A8 %E0%A4%AF%E0%A5%87 %E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-205909

9. हरियाणा सरकार राजपत्र. (07 सितंबर, 2015)।

10. माथुर, डी. (2017). केस स्टडी ऑन इनोवेटिव स्कीम फॉर वूमेन एस एंपावरमेंट इन हरियाणा. इंटरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च इन सोशल साइंस।

11. Retrieved January 8, 2022, from Gov.in website: http://haryanadp.gov.in/SCHEMES/7-star-Gram-Panchayat-Rainbow-Scheme।

12. हरियाणा सरकार राजपत्र. 25 अगस्त, 2020।

13. Retrieved from http://prielections.nic.in ।

14. भारत सरकार. (2008). स्टडी ऑन EWRs इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. पंचायती राज मंत्रालय।

15. Retrieved from Gov-in:8081 website: http://lsi.gov.in:8081/jspui/bitstream/123456789/4722/1/50251-1991-SDP.pdf

16. भारत सरकार. (2019–2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

17. महिलाओं के लिए योजनाएं. (द.क.). Retrieved from Gov-in website: https://wcdhry.gov.in/schemes-for-women।

18. Jha, S.K. (2020, March 8). International Women's Day: हरियाणा के पंचायती राज सिस्टम की ताकत बनीं महिलाएं. Dainik Jagran. https://www.jagran.com/haryana/panchkula-women-become-strength-of-haryanas-panchayati-raj-system-20095640-html।

19. चौधरी, कृष्ण चंद्र. (2018,जुलाई). पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी. कुरुक्षेत्र पत्रिका।